न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1119/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री शिशपाल पत्नी रणवीर जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी मणी तहसील राणीया जिला सिरसा।
3. समेस्ता पुत्री शिशपाल पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी नूईयावाली तहसील सिरसा जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 की कुल 7.1550 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रतिवादी स0 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है। प्रवितादी स0 1 ता 3 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण [illegible] का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 219/[illegible] 2.6950 हैक्ट भूमि व ख0न0 355/4 की 2.942 हैक्ट भूमि कुल 5.637 हैक्ट भूमि का वादी खतोदार रहेगा एव रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 355/4 की शेष 1.518 हैक्ट यानि की 6 बीघा भूमि का प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार रहेगा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रवितादी स0 1 ता 3 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 219/2 की 2.6950 हैक्ट भूमि व ख0न0 355/4 की 2.942 हैक्ट भूमि कुल 5.637 हैक्ट भूमि का वादी खतोदार रहेगा एव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 355/4 की शेष 1.518 हैक्ट यानि की 6 बीघा भूमि का प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 की कुल 7.1550 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना [illegible] अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश [illegible] मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 219/2 की 2.6950 हैक्ट भूमि व ख0न0 355/4 की 2.942 हैक्ट भूमि कुल 5.637 हैक्ट भूमि का वादी को खतोदार रहेगा एव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 355/4 की शेष 1.518 हैक्ट यानि कीं 6 बीघा भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तक़मीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1119/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री शिशपाल पत्नी रणवीर जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी मणी तहसील राणीया जिला सिरसा।
3. समेस्ता पुत्री शिंशपाल पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी नूईयावाली तहसील सिरसा जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1119 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 219/2 की 2.6950 हैक्ट भूमि व ख0न0 355/4 की 2.942 हैक्ट भूमि कुल 5.637 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 252/3 के ख0न0 355/4 की शेष 1.518 हैक्ट यानि की 6 बीघा भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तक़मीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोंक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आंज दिनांक 17/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:21 IST
Reason: SelfAttested